वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा
(ग्राम्य विकास)

संख्या 532/व.ग्रा.वि./2001 देहरादूनः दिनांक, मार्च 26 2001

कार्यालय ज्ञाप

आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र संख्या 620/ए.मा.से/एस.जी.एस.वाई./2001 दिनांक 5 फरवरी, 2001 के द्वारा भारत सरकार के पत्रांक वी. 24015/15/99–आई.आर.डी.–बी. (एस.जी.एस.वाई.) के क्रम में देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के लिए सरस शोरूम एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट सेन्टर (टी.टी.डी.सी.) की स्थापना के लिए प्रथम किश्त के रूप में रू 1,20,00,000.00 उपलब्ध कराया है जिसमें से 75 प्रतिशत भारत सरकार का अंश एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश है. प्रत्येक शोरूम के लिए रू. 50,00,000.00 व प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए रू. 45,30,000.00 धनराशि स्वीकृत की गई है।

परियोजना लागत :

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर वन जैव उत्पाद एवं प्रैस–मड (मरी) एवं बगास के द्वारा तकनीकी हस्तान्तरण का उपयोग कर बायो फर्टिलाईजर का उत्पाद कराना है. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध उपरोक्त आवंटित धनराशि की प्रथम किश्त रू. 1,20,00,000.00 में से रू. 1,09,71,000.00 इस कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल समान रूप से इस धनराशि का वहन उपरोक्त पत्रांक द्वारा आवंटित धनराशि से करेंगे, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना लागत निम्नानुसार है :

		लाख में
1.	मानदेय	4.12
2.	यात्रा व्यय	5.70
3.	प्रशिक्षण पर व्यय	14.70
4.	अवस्थापना	8.55
5.	उत्पादन की लागत (3 माह)	62.64
6.	विपणन खर्च	10.00
7.	प्रशासनिक व्यय	2.00
8.	प्रासंगिक व्यय @ 2%	2.00
	कुल व्यय	109.00

3. उत्पादन की लागत मद का खर्च अधिकतम सीमा से बनाया गया है जोकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार घट–बढ़ सकता है. इस मद के अन्तर्गत वन उत्पाद क्षेत्र यदि बड़े क्षेत्र तथा कठिन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं तो लेबर रेट की वृद्धि स्वीकार की जायेगी, प्रेस मड तथा बगास की बिक्री चीनी मिलों द्वारा की जाती है अतएव उसकी दरें निर्धारित दरों से ज्यादा होती हैं तो उसी दशा में उसकी दर वृद्धि स्वीकार की जायेगी. 10 प्रतिशत से अधिक के अन्तर का सत्यापन प्रोजेक्ट में तैनात तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

तकनीकी स्थानान्तरण :

4. इस कार्यक्रम के द्वारा सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्नोलोजी अपनाकर स्वरोजगारियों को बायो डायमैनिक, एरोविक कम्पोस्टिंग सुविधा से रोजगार में लगाना है, (जिसका विवरण संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया गया है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम फेज में तकनीकी स्थानान्तरण द्वारा स्वरोजगारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा द्वितीय फेज में प्रशिक्षण के उपरान्त उत्पादों का विपणन स्वरोजगारियों द्वारा किया जायेगा।

परियोजना के लिए कार्यदल :

4. इस कार्यक्रम के संचालन हेतु एक प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, मानदेय दर पर तैनात किया जायेगा तथा इसके अधीनस्थ तकनीकी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी भी मानदेय पर रखे जायेंगे, इन अधिकारियों के नीचे ग्राम्य विकास, दुग्ध विकास, गन्ना एवं वन विभागों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर मानदेय में रखे जायेंगे, इनसे नीचे 12 मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग के पश्चात् मानदेय पर रखे जायेगें जो कि 1440 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण देने के उपरान्त बैंको से वित्त पोषित कराकर स्वयं सहायता समूह के रूप में जैविक खाद के उत्पादन के कार्य में लगाये जायेंगे.

विशेषज्ञ संस्था :

6. तकनीकी हस्तान्तरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ सूपा बायोटैक प्राईवेट लिमिटेड, स्काईलार्क होटल, मल्लीताल, नैनीताल का चयन किया गया है. इनके द्वारा प्रारम्भिक तकनीकी का स्थानान्तरण तकनीक की विभिन्न अवयवों के बारे में विस्तृत जानकारी, प्रक्रिया का गुणात्मक नियंत्रण, प्रशिक्षण कार्यो का विरचन, प्रशिक्षण सत्रों का मूल्याकन, मास्टर ट्रेनर का विशेष प्रशिक्षण तथा टी.टी.डी.सी. केन्द्रों को आवश्यक तकनीकी जानकारी के अतिरिक्त तीनों जनपदों में प्रारम्भिक तकनीकी जानकारी से सम्बन्धित सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी।

क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं सत्यापन :

7. सम्बन्धित जिले के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इस कार्यक्रम के जिला स्तर नोडल अधिकारी होंगे तथा उनका उत्तरदायित्व होगा कि वह समय–समय पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का सत्यापन कर इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं शासन स्तर पर भी देंगे।

8. तकनीकी हस्तान्तरण कार्यक्रम के प्रगति का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 6 तारीख को होने वाली मुख्य विकास अधिकारियों की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और उक्त बैठक में तकनीकी हस्तान्तरण के माध्यम से स्वयं सेवी सहायता समूह के द्वारा इस मुख्य गतिविधि को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जायेगा जिससे इस पूरे कार्यक्रम को बृहद स्तर पर पूरे प्रदेश में कार्यान्वित किया जा सके.

9. राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में गठित की जायेगी जिसमें संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ एवं गढ़वाल, संयुक्त गन्ना आयुक्त, कार्यक्रम से सम्बन्धित जिलों के क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के प्राचार्य, सम्बन्धित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सूपा बायोटैक प्राईवेट लिमिटेड, नैनीताल इसके सदस्य होंगे तथा अपर सचिव, ग्राम्य विकास इसके सदस्य सचिव होंगे. समय–समय पर यह समिति इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेगी.

प्रगति प्रतिवेदन

10. इस कार्यक्रम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की 2 प्रतिया इस शासनादेश के साथ इस आशय से संलग्न की जा रही है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने का कष्ट करें तथा आवश्यकतानुसार इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अतिरिक्त प्रतियॉ भी परिस्थितिनुसार फोटो प्रतियॉ कर उपयोग में लावें।

(डा.आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या /व.ग्रा.वि./2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वह इस समिति हेतु किसी अधिकारी को अपने स्तर से नामित करने का कष्ट करेगें.
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं एवं गढवाल.
3. संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तरांचल रूद्रपुर.
4. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार.
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून, नैनीताल, एवं हरिद्वार.
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सूपा बायोटैक प्राईवेट लिमिटेड, नैनीताल,
7. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल इस समिति के सदस्य सचिव होंगे तथा उनका यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार इस समिति की बैठक बुलायगे.
8. जिलाधिकारी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार.
9. समस्त महाप्रबन्धक, चीनी मिल, उत्तरांचल.

(डा.आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त